महत्वपूर्ण / **आवश्यक**
संख्या–326/एक–11–2021

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 03 मई, 2021**

विषय– कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु e-pass आनलाइन जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण प्रदेश में घोषित लाकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति आनलाइन e-pass जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति मुख्यतः सूची बद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिये पास जारी करने हेतु निर्मित की गयी है। आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिये भी e-pass के लिये आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नही हो रही है तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है।

2. **आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से आनलाइन e-pass हेतु आवेदन कर सकेंगे।** e-pass portal में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास आवेदन कर सकेगी।

3. आनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। आवेदनों को परीक्षणोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृत किये गये आवेदनों हेतु e-pass आनलाइन जारी किये जायेंगे जिनको आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त SMS में दिये गये लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। e-pass की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी।

4. e-pass की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को e-pass के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया GST प्रमाण–पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य e-pass जारी करने हेतु उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अन्तर्जनपदीय e-pass जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।

6. संस्थानों हेतु जारी e-pass लाकडाउन की सम्पूर्ण अवधि हेतु वैध होगें जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय e-pass की वैधता 01 दिवस की होगी एवं अन्तर्जनपदीय e-pass की वैधता 02 दिवस की होगी।

7. चेकिंग के दौरान e-pass का सत्यापन QR-Code के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि e-pass मात्र अत्यावश्यक एवं लाकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु निर्गत किये जाये तथा लाकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिये e-pass जारी किये जाने में सावधानी बरती जाये।

8. प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिये विशिष्ट मामलों में e-pass, आवेदक के प्रस्थान जनपद से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

9. e-pass आनलाइन जारी किये जाने की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश संलग्नकर प्रेषित किये जा रहे है।

10. आवेदन सम्बन्धी किसी भी समस्या के निदान हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/राहत आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैः—

(1)	श्री रामकेवल, विशेष सचिव, राजस्व विभाग	—	मो0 न0 9411006000
(2)	श्री चन्द्रकान्त, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट	—	मो0 न0 9988514423
(3)	वाट्सऐप नम्बर	—	9454411081
(4)	राहत आयुक्त कार्यालय	—	0522—2238200

11. e-pass निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों/गाइड लाइन का अनुपालन किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,
03/5/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— (1)/एक—11—2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
03/5/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।